



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017 (ASVINA 2, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितंबर, 2017

संख्या 91/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, —

(क) अनुसूची I — 2.5% में, —

(i) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, "जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत नाम" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"29 क	0802	अखरोट चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं";
-------	------	---

(iii) क्रम संख्या 33 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"33 क	0813	इमली, शुष्कित ";
-------	------	------------------

- (iv) क्रम संख्या 100 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"100 क	2106	भुना हुआ चना ";
--------	------	-----------------

- (v) माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 105 के सामने, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]" कोष्टको, शब्दों, चिह्नों का लोप कर दिया जायेगा;

- (vi) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 106 के सामने, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]" कोष्टको, शब्दों, चिह्नों का लोप कर दिया जायेगा;

- (vii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 107 के सामने, "जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर "बिनोला खल से भिन्न" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (viii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 185 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप संब्रानी";

- (ix) क्रम संख्या 198 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"198 क	4601, 4602	घास, पत्ती या ईख या फाइबर उत्पाद जिसके अंतर्गत मेट्स, पाउच, पर्स भी शामिल है";
--------	------------	--

- (x) माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 200 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं";

- (xi) क्रम संख्या 201 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"201 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स" ;
--------	------	-----------------------------

- (xii) क्रम संख्या 219 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"219 क	5801	कॉरडरॉय फैब्रिक
219 ख	5808	साडी फाल" ;

- (xiii) क्रम संख्या 257 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"257 क	9404	रुई वाली रजाइया जिनका प्रति नग विक्रय मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो" ;
--------	------	--

- (xiv) क्रम संख्या 259 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"259 क	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो " ;
--------	------	--

- (xv) क्रम संख्या 260 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"260	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रूमस्टिक्स (उन झाड़ुओं के अलावा जो कि सीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हथ्थे लगे हो या नहीं)" ;
------	----------------------------------	---

- (xvi) क्रम संख्या 263 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"263 क	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना से संबंधित मनके या हवन सामग्री" ;
--------	---------------	---

- (ख) अनुसूची II-6% में, -

- (i) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 15 के सामने, "अखरोट" शब्द का लोप कर दिया जायेगा ;
- (ii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 17 के सामने, "अध्याय 8 के दूढ़ फलों या फलों के मिश्रण" शब्दों तथा अंक के स्थान पर "नट्स का मिश्रण या अध्याय 8 के सूखे फलों [इमली, सूखे से भिन्न]" शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 45 के सामने, तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"संव्युतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबडी), दालों से बनी बडी, जिसके अन्तर्गत मूंगोडी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर भी शामिल है";

- (iv) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 46 के सामने, "उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां" शब्दों के स्थान पर, "उपभोग के लिए तैयार (भुने हुए चने से भिन्न)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (v) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 49 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"इकाई आधान में रखा गया कच्चा नारियल तेल और,-

- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या किसी कार्रवाईयोग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
- (vi) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 73 के सामने, "अगरबत्तियों" शब्द के स्थान पर, "अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप, संब्रानी", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 85 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"85 क	4016	रबर बैंड";
-------	------	------------

- (viii) क्रम संख्या 92 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"92 क	44, 68, 83	लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो कीमती धातुओं से बनी हो]";
-------	------------	---

- (ix) क्रम संख्या 99 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"99 क	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और बरतन";
-------	------	-----------------------------

- (x) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 128 के सामने, "वैसे ही हक के दस्तावेज" शब्द के स्थान पर, "वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप से भिन्न]" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 147 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“शीर्ष 5802 या 5806 के फेब्रिक से भिन्न, कॉरडरॉय फेब्रिक के सिवाय युतित रूआ फेब्रिक और शनील फेब्रिक”;

- (xii) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 154 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न बिना काशिदाकारी के ब्रेड नग; अलंकृत झालर नग; झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल से भिन्न]”;

- (xiii) क्रम संख्या 171 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“171 क	6501	कपड़ा टोपी”;
--------	------	--------------

- (xiv) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 176 के सामने, “बलुआ प्रस्तर ईट” शब्दों के बाद, “या पत्थर जटित कार्य” शब्द रखे जाएंगे;

- (xv) क्रम संख्या 176 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“176 क	6802	मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; ज्यादा या कम उभरी नक्काशी, क्रोसिस, जानवरों की आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि पत्थर के अन्य सजावटी सामान;
--------	------	---

- (xvi) क्रम संख्या 177 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“177 क	6909	चीनी मिट्टी के पात्र, जार और समान प्रकार की वस्तुएं जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
177 ख	6911	पार्सिलन या चाइना के खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 ग	6912	पार्सिलन या चाइना से भिन्न खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं,
177 घ	6913	प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी वस्तुएं”;

- (xvii) क्रम संख्या 189 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“189 क	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसी ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण, धातु विदरीवेयर”;
--------	------	---

- (xviii) क्रम संख्या 195 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“195 क	8424	बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल या स्पिंकलर के लिए नोजल”;
--------	------	---

- (xix) क्रम संख्या 224 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“224 क	9404	रूई की रजाईयां जिनका विक्रय मूल्य प्रति नग 1000/- रूपये से अधिक हो”;
--------	------	--

- (xx) क्रम संख्या 231 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“231 क	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कछुआकवच, श्रृंग, श्रृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं , कोरल की वस्तुएं (जिनके संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)”;
--------	------	---

(ग) अनुसूची III - 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 23 के सामने, खाना (3) के नीचे, "मधुमेह खाद्य (नमकीन भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरूप खाद्य निर्मितियां, जो उपभोग के लिए तैयार प्रारूप में हैं से भिन्न" शब्दों तथा कोष्ठक के स्थान पर, "मधुमेह खाद्य, कस्टर्ड पाउडर (बैटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर भी शामिल है, नमकीन भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरूप खाद्य निर्मितियां, जो उपभोग के लिए तैयार रूप में हैं से भिन्न)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 111 के सामने, खाना (3) के नीचे, "प्लास्टिक तिरपाल" शब्दों के स्थान पर, "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारणयोग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 123 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"123 क	4016	धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स";
--------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 140 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (v) क्रम संख्या 157 के सामने, खाना (3) के नीचे, "ब्रेल पेपर" शब्दों के स्थान पर, "ब्रेल पेपर, पतंगे, पेपर मैशे की वस्तुओं" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 172 के सामने, खाना (3) के नीचे, प्रविष्टियों में, अंत में "(टेक्सटाइल कैप से भिन्न)" कोष्ठक तथा शब्द रखे जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 186 और 187 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (viii) क्रम संख्या 304 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ix) क्रम संख्या 325 के सामने, खाना (3) के नीचे, "अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "अग्निशामक, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए नोजल या स्प्रींकलर के लिए नोजल, से भिन्न" शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 384 के सामने, खाना (3) के नीचे, "17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" अंको और शब्दों के स्थान पर, "20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) क्रम संख्या 438 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"कायर गद्दे, रूई के तकिये और गद्दे";
- (xii) क्रम संख्या 449 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"449 क	9613	किचन गैस लाइटर्स";
--------	------	--------------------

(घ) अनुसूची IV - 14% में,-

- (i) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 9 के सामने, "कस्टर्ड पाउडर" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 45 के सामने, "प्लास्टिक तिरपाल" शब्दों के स्थान पर, "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारणयोग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 49 के सामने, "इरेजर से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स से भिन्न" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 70 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"कर्मित संस्मारकीय या निर्माण पत्थर (स्लेट के सिवाय) और उसकी वस्तुएं शीर्ष 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक पत्थर (जिसके अन्तर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (जिसके अन्तर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिपपियां और

- चूर्ण; मार्बल के, ट्रैवर्टिन और अलाबस्टर, ग्रैनाईट के अन्य कर्मित पत्थर [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; ज्यादा या कम उभरी नक्काशी, क्रोसिस, जानवरों की आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि पत्थर के अन्य सजावटी सामान से भिन्न]";
- (v) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 85 के सामने, विद्यमान "चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है" शब्दों तथा चिह्नों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 87 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (vii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 154 के सामने, "17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर से भिन्न" अंको और शब्दों के स्थान पर, "20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर से भिन्न" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (viii) क्रम संख्या 219 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ix) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 222 के सामने, "फिलंट और बत्ती से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "(फिलंट और बत्ती या किचन गैस लाइटर, से भिन्न)" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) अनुसूची V – 1.5% में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (3) के नीचे, "अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (च) अनुसूची VI – 0.125% में,—
- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
"औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित";
- (छ) व्याख्या में, पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
"(ii) (क) वाक्यांश " ब्रांड नाम" से अभिप्राय है, ब्रांड नाम या व्यापार नाम, जिसे कह सकते हैं कोई नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जो संकेत के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट मालों के सम्बन्ध में, या उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत या के बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच व्यापार के क्रम के सम्बन्ध में संकेत के रूप में उपयोग किया गया है;
- (ख) वाक्यांश "पंजीकृत ब्रांड नाम" से अभिप्राय है,—
- (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन 15 मई 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड चाहे ब्रांड का बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं ;
- (ख) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड;
- (ग) किसी अन्य देश में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड;
- (ज) पैरा 2 में, अन्त में निम्नलिखित अनुबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग हेतु,—

- (क) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।
- (ख) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही से स्पष्ट रूप में मुद्रित करेगा कि ऐसे इकाई आधानों पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया है।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।